सं0 24-10/2013-एस0 एंड आई0

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कमरा सं.583, कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 19th दिसम्बर, 2013

सेवा में,

सचिव, कृषि विभाग
राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र

उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड/मध्यप्रदेश/बिहार/राजस्थान/गुजरात/दमण एवं दीव/दिल्ली/झारखंड/छत्तीसगढ़/दादरा एवं नगर हवेली/अरूणाचल प्रदेश/असम/पश्चिम/बंगाल/अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह/मेघालय/मणिपुर/मिजोरम/नागालैंड/सिक्किम/त्रिपुरा

सचिव (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) - वही -
राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र

निदेशक (कृषि), ...सरकार - वही -
निदेशक (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)....... सरकार - वही -

कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय - वही -
प्रबंध निदेशक, राज्य भंडारण निगम - वही -
प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भण्डारण निगम,
नई दिल्ली
प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,
नई दिल्ली।

विषय : **भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (आई.जी.एम.आर.आई), हापुड़ में 21/01/2014 से 03/03/2014 तक खाद्यान्नों के भंडारण और निरीक्षण की वैज्ञानिक पद्धति के संबंध में दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (बैच नं0-349)।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, हापुड़ में खाद्यान्नों के भंडारण तथा निरीक्षण की वैज्ञानिक पद्धतियों पर अगला दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बैच नं0-349) 21/01/2014 से 03/03/2014 तक चलेगा। यह पाठ्यक्रम 6 सप्ताह की अवधि का होगा तथा यह हिन्दी/अँग्रेजी भाषा में संचालित होगा।

2. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विवरण, आवेदन के निर्धारित प्रपत्र तथा पाठ्यक्रम की एक-एक प्रति संलग्न है। यह पाठ्यक्रम बड़े पैमाने पर अनाज भंडारण यूनिटों, फसल कटाई उपरांत अनाज प्रौद्योगिकी विस्तार तथा सार्वजनिक वितरण एजेंसियों के साथ कार्य कर रहे कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है ताकि खाद्यान्नों की खरीदारी, भंडारण, ढुलाई तथा वितरण के दौरान उपयुक्त गुणवत्ता नियंत्रण उपाय सुनिश्चित किए जा सकें।

3. इस पाठ्यक्रम के लिए सरकारी कर्मचारियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तथापि, निजी अभ्यर्थियों से 5000/- रूपए और विद्यार्थियों से 2500/- रूपए का पाठ्यक्रम शुल्क प्रभारित किया जाता है। अ.जा./अजजा. वर्ग के विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तथापि, आवास भोजन तथा 5-7 दिन की अवधि के अनिवार्य अध्ययन दौरे से संबंधित व्यय प्रशिक्षुओं को वहन करना होगा। संस्थान के छात्रावास में आवास "पहले आओ - पहले पाओ" आधार पर अनुमोदित दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

4. अनुरोध है कि उपर्युक्त पाठ्यक्रम के लिए अपने संगठन से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों को नामित करने की कृपा करें। **नामांकन(नामांकनों) के इस विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तारीख 13.01.2014 है।** नामांकन (नामांकनों) को निदेशक, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थन, मेरठ रोड, हापुड़- 245101 के पते पर भेजा जाए। इस तारीख के बाद प्राप्त होने वाले नामांकन (नामांकनों) पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. कृपया नोट कर लें कि अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के नामांकन के बाद उनके नाम को वापस नहीं लेने दिया जाएगा। नामांकन वापस लेने/अथवा अभ्यर्थियों को न भेजने से अन्य अभ्यर्थियों के लिए सीटों को इस्तेमाल नहीं हो पाता है। अतः अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करने के बाद ही नामांकन भेजे जाएं कि उपर्युक्त पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को भेजा जाएगा।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

19/12/2013

(डॉ0 एस0सी0 बंसल)
उप निदेशक (एस0 एंड आर0)
कृते उप आयुक्त (एस0 एंड आर0)
दूरभाष : 23383915

प्रतिलिपि:-

1. उपर्युक्त सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रबंध निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम
2. आंचलिक प्रबंधक/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम
3. क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भण्डारण निगम

उपयुक्त अभ्यर्थियों को नामित करने के लिए

उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड/मध्यप्रदेश/बिहार/राजस्थान/गुजरात/दमण एवं दीव/दिल्ली/झारखंड/छत्तीसगढ़/दादरा एवं नगर हवेली/अरूणाचल प्रदेश/असम/मेघालय/मणिपुर/मिजोरम/नागालैंड/सिक्किम/त्रिपुरा/पश्चिम बंगाल/अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. निदेशक, आईजीएमआरआई,हापुड़
2. प्रभारी अधिकारी, आईजीएमआरआई, फील्ड स्टेशन, लुधियाना/हैदराबाद एवं गुण नियंत्रण कार्यालय